

:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला ढूंगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :-अनील कुमार

मूकदमा नम्बर 40/2021

1 श्री राजेश पुत्र पदमजी जाति कलाल निवासी सीमलवाडा तहसील  
सीमलवाडा जिला ढूंगरपुर राज

प्रार्थी

बनाम

- 1 श्री प्रकाश चन्द्र पिता पदमजी जाति कलाल
- 2 श्री नरेश पिता पदमजी जाति कलाल
- 3 श्री रोशन पुत्र दिलीप कुमार जाति कलाल निवासीयान सीमलवाडा  
तहसील सीमलवाडा जिला ढूंगरपुर राज
- 4 श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला ढूंगरपुर राज

अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

- 1 श्री मनीष कुमार कलाल एडवोकेट प्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 06/07/2021

(1) प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्व.  
पदमजी कलाल की सन्ताने है जिनका पेढीनामा निम्नानुसार है:-

पदमजी पिता लालजी कलाल



दिलीप उर्फ रघुनाथ प्रकाश उर्फ धुलजी, राजेश उर्फ सन्तोष नरेश  
कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी की गॉव सीमलवाडा एवं गुदावाडा में निम्नानुसार  
भूमि है गॉव सीमलवाडा कें खाता सख्या 57 कें खसरा सख्या 599, 651,  
652, 692, 706, 708, 964, 967, कुल खसरा किता 9 का कुल 1.8777  
भूमि है, इसी प्रकार से गॉव गुदावाडा के खाता सख्या 4 के खसरा सख्या  
174, 339/1, 339/2, कुल खसरा किता 3 का कुल रकबा 0.4128  
हेक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थी का जमाबन्दी में दर्ज नाम सन्तोष कें स्थान  
पर राजेश, एवं अप्रार्थीगण के नाम धुलजी के स्थान पर प्रकाशचन्द्र,  
रघुनाथ के स्थान पर दिलीप कुमार दर्ज करने का आदेश फरमावे।  
रघुनाथ उर्फ दिलीप कुमार का देहान्त होने से इनकी ओर से रोशन पुत्र  
दिलीप कुमार को पक्षकार बनाया गया है, वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं

  
उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा


विपक्षी सख्या 1 से 3 की होना, तथा इस नाम का अन्य कोई दावेदार नहीं होना बताया।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को तलब किया गया, अप्रार्थीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर आपसी राजीनामा पेश करते हुए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र की अभीयाचना स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का जमाबन्दी में दर्ज नाम सन्तोष के स्थान पर राजेश, एवं अप्रार्थीगण के नाम धुलजी के स्थान पर प्रकाशचन्द्र, रघुनाथ के स्थान पर दिलीप कुमार दर्ज करने का आदेश करने निवेदन किया।


प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में दस्तावेज आधार कार्ड एवं जमाबन्दी पेश की, पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

#### कियात्मक आदेश

अतः गोंव सीमलवाडा के जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता सख्या 57 के खसरा सख्या 599, 651, 652, 692, 706, 707, 708, 964, 967 कुल खसरा किता 9 का कुल रकबा 1.8777 हैक्टेयर एवं गोंव गुदावाडा के खाता सख्या 4 के खसरा सख्या 174, 339/1, 339/2 कुल खसरा किता 3 का कुल रकबा 0.4128 हैक्टेयर, एवं गोंव सीमलवाडा के खाता सख्या 444 के खसरा सख्या 1850/1 का रकबा 0.0162 हैक्टेयर भूमि में संतोष पुत्र पदमजी के स्थान पर राजेश पुत्र पदमजी, धुलजी पुत्र पदमजी के स्थान पर प्रकाशचन्द्र पुत्र पदमजी, रघुनाथ पुत्र पदमजी के स्थान पर दिलीप कुमार पुत्र पदमजी दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना अवीलम्ब कर, पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 06/07/2021 को खूले न्यायालय में सूनाया गया है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा

Handwritten mark

### आपकी शर्मिता

सेवाएं

माननीय महाराज

कैलाश 600 काठ

काठमांडू

संज्ञा ७७७ ७७७७

पु. सं. ५७/२०५

महोदय,

उक्त आकाशवाणी में उर्ध्व संज्ञा एवं प्रकाशित की ओर से निम्नलिखित शर्तिका सेवा है कि:-

1. यह कि उर्ध्व संज्ञा उर्ध्व संज्ञा, युवती उर्ध्व उर्ध्व प्रकाशवाणी, रघुनाथ उर्ध्व दिलीप कुमाल, एवं नैराश सभी आई टेली इकाईय परवर्ती की सम्बन्ध है।  
 कि रघुनाथ उर्ध्व दिलीप कुमाल का उदाहरण के साथ है।  
 उर्ध्व एवं विपरीत को उक्त सेवा के नाम से नाम-प्रकाशित जाना है किन्तु संज्ञा के सभी उदाहरण शर्तिका के नाम, युवती के सभी उदाहरण प्रकाशवाणी के नाम, रघुनाथ के सभी उदाहरण दिलीप कुमाल के नाम हैं जैसे कि यह उदाहरण भारतीय में संज्ञा के स्थान पर संज्ञा, युवती के स्थान पर प्रकाशवाणी रघुनाथ के स्थान पर दिलीप कुमाल कि कि जाने का उदाहरण प्रकाशित नाम आकाशवाणी है।

अतः स्पष्ट शर्तिका है कि संज्ञा के स्थान पर संज्ञा, युवती के स्थान पर प्रकाशवाणी, रघुनाथ के स्थान पर दिलीप कुमाल दर्ज करने का उदाहरण प्रकाशित

५-१/७/२०५

नारायण  
प्रकाशवाणी

संज्ञा संज्ञा  
(Signature)